सं0-4007/62-2-2014-2/4(90)/2007टीसी

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 16 दिसम्बर,2014

विषय- लघु सिंचाई विभाग में विशेष उपकरण संवर्ग में रिक्त हेल्पर पद की शैक्षिक अर्हता निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-292/ल0सिं0/स्था0-7(टी0सी0)/2014-15, दिनांक 12-06-2014 का संदर्भ् ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र सं0-वे0आ0-2-2054/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 08-09-2010 में दी गयी व्यवस्था एवं आपके पत्र दिनांक 12-06-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार लघु सिंचाई विभाग में हेल्पर पद हेतु शैक्षिक अर्हता कक्षा-8 उत्तीर्ण तथा आई0टी0आई0 के प्रमाण पत्र के अर्हताधारियों को ही नियुक्त किया जायेगा। ऐसे प्राविधिक पद जिनके द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्यो के विषय से संबंधित ट्रेड आई0टी0आई0 में न हो, उन विषयों से संबंधित पदों पर नियुक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE SCHEME (SDIS) BASED ON MODULAR EMPOYABLE SKILLS(MES) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राइज़ अभ्यर्थी से ही भरा जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संशोधित नियमावली यथाशीध्र प्रख्यापित करायी जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0संख्या-वे0आ0-2-1299/दस-2014, दिनांक 03-12-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-4007(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2,
3- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।